

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/औ0प्रको0/2016/S.02
प्रति,

भोपाल,दिनांक.12/08/2016

1. समस्त मुख्य एवं चिकित्सा अधिकारी, म.प्र. ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।

विषय:- आब्जेक्ट हेड एवं डिटेल्ड हेड सामग्री एवं पूर्तियों अन्य (34-009) मद के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन एवं उसके उपयोग बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र कमांक/औ.प्रको./2016/341, भोपाल, दिनांक 25.07.2016 छायाप्रति संलग्न।

000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि कम्बल संबंधी व्यय भी इसी शीर्ष से किया जाना है। यह व्यय नियमानुसार परीक्षण उपरांत भण्डार क्रय नियमों के अक्षरशः पालन एवं वित्तीय अधिकारों के प्रकाश में जिला चिकित्सालय हेतु योजना क्रमांक 1473, 8150 एवं 8798 से एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेतु योजना क्रमांक 2777, 8150, 7317, 5989 एवं 9812 में उपलब्ध बजट के अंतर्गत किया जा सकता है। अन्य योजनाएँ जैसे 6105, 4245 से चादर एवं कम्बल संबंधी व्यय नहीं किया जाना है।

म0प्र0 भण्डार क्रय नियम 26.2 एवं 6 परिशिष्ट "ब" (छायाप्रति संलग्न) अनुसार कम्बल म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का आरक्षित आइटम है, अतः इस संबंध में प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को 85 प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ, आदेश ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से भेजा जायेगा। अतः सूचनार्थ एवं नियमानुसार परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. पंकज जैन)

अपर संचालक (उपायुक्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,दिनांक.12/08/2016

पृ. क./6/औ0 प्रको0/2016/S.03
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. संचालक, अस्पताल प्रशासन/वित्त, स्थानीय कार्यालय भोपाल म0प्र0 ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
5. प्रभारी, एम.आई.एस, वेबसाइट पर अपलोड करें ।

अपर संचालक (उपायुक्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश